

जनमत-संग्रह
सूचना का अधिकार अधिनियम २००५
में संशोधन पर


सरकार **सूचना का अधिकार** अधिनियम २००५
को संशोधित करने के निर्णय की प्रक्रिया को, गोपनीय
बनाना चाहती है

हाँ



सूचना का अधिकार आन्दोलन का मानना है कि ऐसे
संशोधन से कानून कमजोर हो जाएगा

ना



क्या आप कानून को जैसा है वैसे ही रखना चाहते हैं?

नाम

पता

.....

.....

हस्ताक्षर